न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान गिरधारी बनाम रामलाल

मुकदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 42/2023

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/02/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री तरसेम कुमार मिश्रा व अप्रार्थी संख्या 01, 04 लगायत 06, 9/1 लगायत 9/5 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी शर्मा व अप्रार्थी संख्या 02, 03, 07, 08, 10, 9/6/1 लगायत 9/6/3, 11, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम शर्मा हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पचार, पटवार हल्का क्षैत्र पचार, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कालवाड, तहसील कालवाड व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 1118 रकबा 0.2150 हैक्टे०, खसरा नं0 1120 रकबा 0.0253 हैक्टे०, खसरा नं० 1536/1124 रकबा 3.1277 हैक्टे०, खसरा नं0 1538/1122 रकबा 1.9180, हैक्टे०, खसरा नं0 1540/1126 रकबा 1.5650 हैक्टे० प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि की सड़क वाली भूमि पर प्लॉटिंग करने व दुकाने बनाकर उन्हे बेचने के उद्देश्य से निर्माण करने के लिए नींव खोदने लगे है तथा निर्माण सामग्री एकत्रित कर ली है तथा विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण को उनकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील अप्रार्थी संख्या 09, 13 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01, 04 लगायत 06, 09 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा करवाने के लिए तैयार है। यदि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण की ही अपूरर्तनीय क्षति कारित होगी, न कि प्रार्थीगण को। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 02, 03, 07, 08, 10, 11, 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थीगण नियमानुसार तकासमा करवाने के लिए तैयार है। इसलिए मिन अप्रार्थीगण की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने का आदेश फरमाये जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम पचार, पटवार हल्का क्षैत्र पचार, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कालवाड, तहसील कालवाड व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 1118 रकबा 0.2150 हैक्टे०, खसरा नं0 1120 रकबा 0.0253 हैक्टे०, खसरा नं० 1536/1124 रकबा 3.1277 हैक्टे०, खसरा नं0 1538/1122 रकबा 1.9180, हैक्टे०, खसरा नं0 1540/1126 रकबा 1.5650 हैक्टे० पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है कि वे किसी विशिष्ट भू–भाग पर कब्ज़ा, निर्माण नहीं करेगें तथा एक–दूसरे के कब्ज़े काश्त में दखल नहीं करेगें। इस व्यादेश का प्रभाव सहखातेदारों के अधिकारों यथा सिंचाई पम्पसेट, सोलर, कृषि बिजली कनेक्शन इत्यादि के उपयोग–उपभोग पर लागू नहीं होगा।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम